प्राक्कथन

मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में विधायिका रहित संघ शासित क्षेत्रों सहित संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा सामान्य एवं सामाजिक सेवाएं के अधीन उनके स्वायत्त निकायों के वित्तीय संव्यवहारों की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सरकारी कंपनी या निगम के लेखाओं के संबंध में सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत की जाती है। इस प्रतिवेदन में वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन केन्द्रीय लोक सेवा उद्यमों से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ शामिल है। इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भारतीय खाद्य निगम जो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में है, से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां भी शामिल है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित उदाहरण वे हैं जोकि 2017-18 की अवधि हेतु जाँच लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए थे तथा वे जो पूर्व वर्षों में ध्यान में आए थे, परंतु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सूचित नहीं किए जा सके थे। 2017-18 के बाद की अवधि से संबंधित उदाहरणों को भी जहां कहीं आवश्यक था, शामिल किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई है।